रत्तनलाल

बनाम

जम्मू एवं कश्मीर राज्य

(10 अप्रैल, 2007)

[एस.बी. सिन्हा तथा मार्कण्डेय कटजू, न्यायाधीश]

रणबीर दंड संहिता : धारा 302 – *विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों में असंगतियां पाई और अभियुक्तों को बरी करने का आदेश दिया – उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के आदेश को पलट दिया –* ***अपील*** *में अभिनिर्धारित, कि विचारण न्यायालय का निर्णय ऐसा दृष्टिकोण नहीं था जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था – उच्च न्यायालय ने मामले को उचित दृष्टिकोण से नहीं देखा – बरी किया जाना यथावत रखा गया।*

अभियुक्त तथा परिवादी पक्ष के बीच आपसी बातचीत नहीं थी। अभियुक्त पक्ष को यह महसूस हुआ कि विरोधी पक्ष ने गांव में यह अफवाह फैला दी थी कि अपीलकर्ता का अपने भाई 'के' की पत्नी के साथ संबंध था। अपीलकर्ता, उसका भाई 'के' और पिता 'एसडी' परिवादी के घर गए। अपीलकर्ता ने पीडब्ल्यू-एस (PW-S), जो मृतक का पुत्र था, को बाहर आकर 'के' से बात करने के लिए कहा। पीडब्ल्यू-एस अपने पिता, जो कि मृतक और परिवादी थे, के साथ बाहर आया। 'के' ने पीडब्ल्यू-एस से पूछा कि वे लोग समस्या क्यों पैदा कर रहे हैं और उसके माथे पर एक वार किया। मृतक उसकी सहायता के लिए आया। 'एसडी' ने अपीलकर्ता को मृतक को मार डालने के लिए उकसाया, जिस पर अपीलकर्ता ने खुखरी से वार किया। अपीलकर्ता के पिता 'डी' ने भी लाठी से वार किया। एक घंटे के भीतर पुलिस को मौखिक सूचना दी गई और उसकी प्रति पुलिस थाने भेजी गई जहां प्राथमिकी दर्ज की गई। मृतक तथा घायल व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां मृतक की मृत्यु हो गई। बड़ी संख्या में गवाह पीडब्ल्यू के रूप में उपस्थित हुए। विचारण न्यायालय ने मामले में अनेक असंगतियां पाईं और अभियुक्तों को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलटते हुए अपीलकर्ता को रणबीर दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत तथा 'के' को

धारा 324 रणबीर दंड संहिता और 'एसडी' को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराया। केवल अपीलकर्ता ने ही इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित : 1. अभियोजन के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन सायं 9:30 बजे दर्ज की गई थी। अन्वेषण अधिकारी ने कथित रूप से उसी दिन प्रथम सूचनादाता का बयान भी दर्ज किया। इस संबंध में कुछ असंगतियां प्रतीत होती हैं। [पैरा 9] [1033-G]

2. अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में भी कुछ असंगतियां दिखाई देती हैं। जबकि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि एसडी तथा अपीलकर्ता को 11.02.1993 को गिरफ्तार किया गया था और 'के' को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वह अपनी यूनिट में वापस चला गया था, एएसआई ने अपने साक्ष्य में कहा कि वह न केवल घटनास्थल पर पहुँचा और वहां मौजूद रक्त को सुरक्षित किया, बल्कि अभियुक्तों से पूछताछ भी की; जबकि कांस्टेबल 'केके' के अनुसार सभी अभियुक्त अगले दिन दोपहर 2:30 बजे अपने घर पर थे और उनकी संख्या चार थी। अभियोजन यह स्थापित नहीं कर सका कि चौथा अभियुक्त कौन था।
[पैरा 16] [1034-H; 1035-A]

3. विचारण न्यायाधीश ने अपराध में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी के संबंध में भी संदेह व्यक्त किया। अभियोजन गवाहों के अनुसार पुलिस अगले दिन घटनास्थल पर पहुँची और अपराध में प्रयुक्त हथियारों को जब्त किया, जबकि अभिलेखों से यह दर्शाया गया कि बरामदगी अगले दिन अर्थात अभियुक्तों को हिरासत में लेने के बाद ही हुई। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि जब्त किए गए हथियारों का अपराध के किए जाने से कोई संबंध था या नहीं।
[पैरा 17] [1035-B-C]

4. विचारण न्यायाधीश ने 'वी' और 'डी' को घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में स्वीकार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने उन्हें प्रत्यक्षदर्शी माना। 'वी' के अनुसार घटना को 'के' और 'केएल' ने देखा था। उसके अनुसार वे लोग बाद में घटनास्थल पर पहुंचे। यदि उसके साक्ष्य को उसके प्रत्यक्ष अर्थ में स्वीकार किया जाए, तो वे लोग पीडब्ल्यू-एस के अपने घर से बाहर आने से पहले ही घटनास्थल पर पहुँच गए थे। विचारण न्यायाधीश ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया कि वहां पूर्ण

अंधकार था। ऐसा 'केएल' ने भी कहा। उसने यह भी कहा कि बिजली की रोशनी केवल उसके घर में थी, बाहर नहीं। पीडब्ल्यू-एस के अनुसार, उस पर आक्रमण होने पर वह अचेत हो गया था। उच्च न्यायालय ने उसके साक्ष्य के उस भाग पर भरोसा नहीं किया क्योंकि उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसे यह ज्ञात नहीं था कि घटना कैसे हुई।
[पैरा 18] [1035-D-E]

5. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल गवाह 'एस', 'वी', 'आर' और 'डी' द्वारा दिए गए बयानों तथा 'केएल' और 'डी' के उनके मुख्य परीक्षण और जिरह के दौरान दिए गए बयानों को ही विचार में लिया। गवाहों के साक्ष्यों के बीच जो स्पष्ट असंगतियां थीं, जिन्हें विचारण न्यायाधीश ने दर्ज किया था, उनका उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायाधीश के तर्कों का भी सामना नहीं किया।
[पैरा 19] [1035-F]

6. विचारण न्यायाधीश ने यह पाया कि घटना-स्थल पर 'वी' और 'डी' की उपस्थिति संदिग्ध थी, विशेषकर इस आधार पर कि मौखिक सूचना में उनके नाम अंकित नहीं थे। जबकि पीडब्ल्यू-एस ने स्वयं को अपने भाई 'आर' पर कथित आक्रमण का प्रत्यक्षदर्शी बताया, परन्तु 'आर' के अनुसार वह अपनी माता और भाई द्वारा उठाई गई चीख-पुकार सुनने के बाद ही घटनास्थल पर पहुँचा था।
[पैरा 20] [1035-G-H; 1036-A]

7. 'केएल', जिसे घटनास्थल पर सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति बताया गया था, को शत्रुतापूर्ण (hostile) घोषित कर दिया गया। यद्यपि 'के' को शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया, परन्तु अभियोजन ने उससे केवल रक्तरंजित मिट्टी की जब्ती के संबंध में ही प्रश्न किए और उससे अधिक कुछ नहीं पूछा। 'डी' के अनुसार 'केएल' के अतिरिक्त 'एसपी' और 'जी' भी घटनास्थल पर आए थे। उन्हें क्यों परीक्षित नहीं किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया। उक्त गवाह के अनुसार मृतक पर 'ड्राट' (drat) का वार 'के' ने किया था, न कि अपीलकर्ता ने। इस प्रकार उसने आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम तथा अपराध में प्रयुक्त हथियार दोनों ही बदल दिए। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष किसी भी कारण से समर्थित नहीं हैं। यह भी चर्चा नहीं की गई कि प्रतिरक्षा को उसके इस कथन का लाभ क्यों नहीं दिया जाना चाहिए था, जबकि उसे शत्रुतापूर्ण

भी घोषित नहीं किया गया था। 'डी' ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि अपीलकर्ता ने मृतक पर खुखरी से वार किया था, जबकि अभियुक्त 'एसडी' ने उस पर लाठी से वार किया था। [पैरा 21, 22 और 23] [1036-B, F-G]

8. विचारण न्यायाधीश ने इस तथ्य का भी गंभीर संज्ञान लिया कि रेडियोलॉजिस्ट द्वारा लिए गए एक्स-रे की रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई थी। यहां तक कि मृतक का स्काई-ग्राम भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार न्यायालय को चिकित्सीय साक्ष्य के एक भाग पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण विचारण न्यायाधीश द्वारा प्रतिकूल अनुमान (adverse inference) निकालना उचित था। विचारण न्यायाधीश ने यह भी विचार किया कि अभियोजन के एक गवाह 'एच' द्वारा उजागर अभियोजन के कथन की सत्यता क्या है, जिसने कहा था कि मृतक के पुत्र ने उसे बताया था कि उस पर किसी ने हमला किया था। यदि अभियोजन का कथन स्वीकार किया जाए, तो आक्रमणकारियों के नाम मृतक को ज्ञात होने चाहिए थे क्योंकि वे उसके अपने पुत्र थे। अभियुक्तों के कथित खुलासे के कथन तथा उसके परिणामस्वरूप अपराध में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी को सिद्ध करने के लिए नंबरदार अथवा चौकीदार जैसे किसी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं किया गया। विचारण न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा न किए जाने से प्रतिरक्षा को गंभीर हानि पहुँची। विचारण न्यायाधीश का निर्णय ऐसा दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता जिसे अपनाया जाना संभव न हो। दुर्भाग्यवश, मामले के इन पहलुओं पर उच्च न्यायालय ने उचित दृष्टिकोण से विचार नहीं किया।

संघाजी हरिबा पाटिल बनाम कर्णाटक राज्य, **[2006] 10 एससीसी 494;** *कल्लू उर्फ मसीह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, **[2006] 10 एससीसी 313;** *चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्णाटक राज्य*, **[2007] 3 स्केल 90 तथा स्वामी प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2007) 4 स्केल 181 – पर भरोसा किया गया।**

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या 1672/2005

दिनांक 16.09.2005 को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू द्वारा दोषमुक्ति अपील संख्या 41 of 1997 में पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध।

अपीलकर्ता की ओर से : त्रिलोकी नाथ रज़दान।

उत्तरदाता की ओर से : अनीस सुहरावर्दी तथा एस. मेहदी इमाम।

न्यायलय का निर्णय दिया गया द्वारा:

एस.बी. सिन्हा, न्यायाधीश 1. यह अपील दिनांक 16.09.2005 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दोषमुक्ति अपील संख्या 41/1997 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा जम्मू के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सेशन वाद संख्या 42, वर्ष 1993 में पारित दोषमुक्ति के आदेश को पलट दिया गया था।

2. यह घटना दिनांक 09.02.1993 को गांव राख मुठी, तहसील अखनूर में हुई। प्रथम सूचनादाता और उसका परिवार भोजन करने ही वाले थे। कथित रूप से, परिवादी पक्ष और अभियुक्तों के बीच बातचीत नहीं थी, क्योंकि कहा जाता था कि यह परिवार गांव में इस प्रकार की अफवाह फैलाने के लिए उत्तरदायी था कि अपीलकर्ता का अपने भाई काकू राम की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। अपीलकर्ता, काकू राम और उनके पिता सुन्दरदास कथित रूप से उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन रात्रि लगभग 08.30 बजे परिवादी के घर आए। कथित रूप से, रत्तनलाल ने पीडब्ल्यू-सुभाष चंदर, जो मृतक संतोष कुमार का पुत्र था, से बाहर आने को कहा यह बताते हुए कि काकू राम उसे बुला रहा है। सुभाष चंदर इसके बाद बाहर आया, उसके पीछे परिवादी पम्मा राम, मृतक संतोष कुमार तथा पीडब्ल्यू-रमेश चंदर भी आए। कथित रूप से, जब सुभाष चंदर गली में पहुँचा, तब काकू राम ने उससे पूछा कि वह समस्या क्यों उत्पन्न कर रहा था और उसके माथे पर 'ड्राट' से वार किया। संतोष कुमार (मृतक) कथित रूप से अपने पुत्र को बचाने के लिए आगे आया, जिस पर सुन्दरदास ने रत्तनलाल (यहाँ अपीलकर्ता) को उसे मार डालने के लिए उकसाया, जिसने उस पर खुखरी से वार किया। सुन्दरदास द्वारा रमेश चंदर पर लाठी से भी वार किया गया बताया गया है। रात्रि लगभग 09.30 बजे पुलिस चौकी जूरियां को मौखिक सूचना दी गई, जिसे डीडीआर संख्या 16 के रूप में दर्ज किया गया, जिसकी प्रति पुलिस थाना अखनूर को भेजी गई, जिसके पश्चात धारा 307/34 आरपीसी तथा 4/27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.02.1993 को दर्ज की गई। मृतक तथा घायलों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया और तत्पश्चात उन्हें उप-जिला अस्पताल अखनूर भेजा गया,

जहाँ से मृतक और सुभाष चंदर को उपचार हेतु एसएमजीएस अस्पताल, जम्मू भेजा गया। उक्त अस्पताल में संतोष कुमार की मृत्यु हो गई।

3. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में बड़ी संख्या में गवाहों की परीक्षा की। तथापि, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने दोषमुक्ति का निर्णय अभिलिखित किया, क्योंकि अनेक संदेह उत्पन्न हुए थे, जो केवल अभियुक्तों की पहचान करने के लिए पर्याप्त प्रकाश की उपलब्धता के संबंध में ही नहीं थे, बल्कि गवाहों के बयानों में गंभीर असंगतियों के संबंध में भी थे; साथ ही चोटों की संख्या, प्रकृति और स्थान के संबंध में दो चिकित्सकीय विशेषज्ञों के साक्ष्यों में असंगतियां, घटना-स्थल के संबंध में विरोधाभास तथा अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा न किए जाने के संबंध में भी संदेह उत्पन्न हुए।

4. उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर अपील पर उच्च न्यायालय ने, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, उक्त निर्णय को पलट दिया और यह मत व्यक्त किया कि अभियोजन ने अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

5. तथापि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 302 आर.पी.सी. के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त काकू राम केवल धारा 324 आर.पी.सी. के अंतर्गत दोषी है और उसे दो वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया, जबकि सुन्दरदास को धारा 323 आर.पी.सी. के अंतर्गत पीडब्ल्यू-रमेश चंदर को साधारण चोट पहुँचाने के अपराध में दोषी पाया गया और उसे छह माह के कारावास का दण्ड दिया गया।

6. सुन्दरदास और काकू राम हमारे समक्ष नहीं हैं।

7. श्री टी. एन. रज़दान, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करते समय स्पष्ट त्रुटि की है, क्योंकि उसने विद्वान विचारण न्यायाधीश के सभी निष्कर्षों को विचार में नहीं लिया और यह निष्कर्ष निकाले बिना कि वे निष्कर्ष प्रतिकूल अथवा अवैध हैं, उक्त निर्णय को पलट दिया। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अब यह विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत है कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हों, तो दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

8. दूसरी ओर, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनीस सुहरावर्दी ने विवादित निर्णय का समर्थन किया।

9. अभियोजन के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन रात्रि 09.30 बजे दर्ज की गई थी। अन्वेषण अधिकारी ने कथित रूप से उसी दिन प्रथम सूचनादाता का बयान भी दर्ज किया। इस संबंध में कुछ असंगतियां प्रतीत होती हैं, जैसा कि पीडब्ल्यू-धानो देवी ने कहा:

"...पुलिस दूसरे दिन मुझसे पूछताछ करने आई थी। पुलिस ने मेरा बयान घर पर लिया। मेरी उपस्थिति में पुलिस ने केवल मेरा ही बयान दर्ज किया। पुलिस को घटना की सूचना अपने स्तर पर प्राप्त हो गई थी। दूसरे दिन पुलिस लगभग 11 बजे आई थी। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि घटना वाले दिन पुलिस आई थी या नहीं।"

10. तथापि, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु जूरियां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पुलिसकर्मियों द्वारा भेजा गया था, जबकि ऐसा अभियोजन का मामला प्रतीत नहीं होता।

11. पीडब्ल्यू-धानो देवी ने आगे चलकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दिए गए अपने पूर्व कथनों से भी अपने साक्ष्य में विचलन किया।

"...दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत मेरे बयान में यह दर्ज है कि 'मेरे पति पम्मा राम सूचना देने के लिए पुलिस चौकी जूरियां गए थे', यह गलत है। इसके बजाय मेरे पति अगले दिन रिपोर्ट करने के लिए पुलिस थाने गए थे।"

12. तथापि, पीडब्ल्यू-रमेश चंदर ने अपने साक्ष्य में कहा:

"...खैराती लाल मुझे, मेरे पिता और सुभाष को गाड़ी पर बैठाकर जूरियां अस्पताल ले गया। वहां हमारा उपचार किया गया। घटना के दूसरे दिन मेरे पिता संतोष कुमार का देहांत हो गया। अभियुक्तों का परिवार हमारे परिवार से बातचीत नहीं करता था और उनके मन में कोई वैरभाव नहीं था।"

13. पीडब्ल्यू-विजय कुमार ने भी अपने साक्ष्य में कहा कि काकू राम और खैराती लाल ने घटना देखी थी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था।

14. इसी प्रकार पीडब्ल्यू-सुभाष चंदर का साक्ष्य भी है, जो इस प्रकार है:

"...इसके बाद डुंडू राम और खैराती लाल मौके पर आए, जिन्होंने हम सभी को उठाकर घर ले गए। वे मुझे और मेरे पिता को जूरियां अस्पताल ले गए। मुझे और मेरे पिता को अस्पताल में भर्ती किया गया। मेरे टांके लगाए गए। जूरियां अस्पताल ने हमें अखनूर अस्पताल भेजा और अखनूर अस्पताल ने हमें जम्मू अस्पताल भेज दिया। मैं लगभग सवा महीने तक जम्मू अस्पताल में रहा..."

15. सहायक उपनिरीक्षक मोहन लाल ने अपने साक्ष्य में कहा कि घायल व्यक्ति उनके वहाँ पहुँचने से 10-15 मिनट पहले ही अस्पताल पहुँच चुके थे।

16. अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में भी कुछ असंगतियां प्रतीत होती हैं। जहाँ उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि सुन्दरदास और अपीलकर्ता को 11.02.1993 को गिरफ्तार किया गया था और काकू राम को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वह अपनी यूनिट में वापस चला गया था, वहीं एएसआई मोहन लाल ने अपने साक्ष्य में कहा कि वह न केवल घटनास्थल पर पहुँचा और वहाँ पड़े रक्त को सुरक्षित किया, बल्कि अभियुक्तों से पूछताछ भी की; जबकि कांस्टेबल केवल कृष्ण के अनुसार अगले दिन दोपहर 02.30 बजे सभी अभियुक्त अपने घर में थे और उनकी संख्या चार थी। अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम नहीं हो सका कि चौथा अभियुक्त कौन था।

17. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपराध में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी के संबंध में संदेह व्यक्त किया। अभियोजन के अनुसार, गवाह रमेश चंदर और विजय कुमार के कथन के अनुसार पुलिस अगले दिन घटनास्थल पर आई और अपराध में प्रयुक्त हथियारों को जब्त किया, जबकि अभिलेखों से यह प्रदर्शित होता है कि बरामदगी अगले दिन ही हुई, अर्थात तब जब अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया था। यहाँ तक कि यह भी स्थापित नहीं किया गया कि जब्त किए गए हथियारों का अपराध के किए जाने से कोई संबंध था या नहीं।

18. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने विजय कुमार और धानो देवी को घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में स्वीकार नहीं किया, जबकि उच्च न्यायालय ने उन्हें ऐसा माना। विजय कुमार के अनुसार, घटना को काकू राम और खैराती लाल ने देखा था। उसके अनुसार वे बाद में

घटनास्थल पर पहुँचे। यदि उसके साक्ष्य को उसके प्रत्यक्ष अर्थ में स्वीकार किया जाए, तो वे पीडब्ल्यू-सुभाष चंदर के अपने घर से बाहर आने से पहले ही घटनास्थल पर पहुँच गए थे। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया कि वहाँ पूर्ण अंधकार था। ऐसा खैराती लाल ने भी कहा था। उसने यह भी कहा कि बिजली की रोशनी केवल उसके घर में थी, बाहर नहीं। सुभाष चंदर के अनुसार उस पर आक्रमण होने पर वह अचेत हो गया था। उच्च न्यायालय ने उसके साक्ष्य के उस भाग पर भरोसा नहीं किया क्योंकि उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसे यह ज्ञात नहीं था कि घटना किस प्रकार हुई।

19. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल गवाह सुभाष चंदर, विजय कुमार, रमेश चंदर और धानो देवी के बयानों तथा खैराती लाल और डुंडू राम के मुख्य परीक्षण और जिरह के दौरान दिए गए बयानों को ही विचार में लिया। गवाहों के साक्ष्यों के बीच जो स्पष्ट असंगतियाँ थीं, जिन्हें विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलिखित किया था, उनका उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। उच्च न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायाधीश के तर्कों का भी सामना नहीं किया।

20. विजय कुमार और धानो देवी की घटना-स्थल पर उपस्थिति को विद्वान विचारण न्यायाधीश ने संदेहास्पद माना, अन्य बातों के साथ इस आधार पर कि उनके नाम पम्मा राम द्वारा दर्ज कराई गई मौखिक सूचना में नहीं थे। जबकि पीडब्ल्यू-सुभाष चंदर ने स्वयं को अपने भाई रमेश चंदर पर कथित हमले का प्रत्यक्षदर्शी बताया, रमेश चंदर के अनुसार वह अपनी माता और भाई द्वारा उठाई गई चीख-पुकार सुनने के बाद ही घटनास्थल पर पहुँचा था।

21. खैराती लाल, जिसे घटनास्थल पर सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति बताया गया था, को शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया। यद्यपि काकू राम को शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया, परंतु अभियोजन ने उससे केवल रक्तरंजित मिट्टी की जब्ती के संबंध में ही प्रश्न किए और उससे अधिक कुछ नहीं पूछा। धानो देवी के अनुसार खैराती लाल के अतिरिक्त सूरज प्रकाश और गोपाल भी घटनास्थल पर आए थे। उन्हें क्यों परीक्षित नहीं किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया। पीडब्ल्यू-धोंडा राम के संबंध में उच्च न्यायालय ने अभिलिखित किया:

"पीडब्ल्यू-धोंडा राम एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जो उसी क्षेत्र में रहता था जहाँ घटना हुई थी। उसने कहा कि रात लगभग 8 बजे वह अपने घर पर था। अभियुक्त रत्तन

सुभाष चंदर के घर गया था और उसे बताया कि काकू फौजी उसे बुला रहा है। जब सुभाष फाटक के पास पहुँचा, तब सुन्दरदास और अभियुक्त काकू उनके सामने खड़े थे। जब सुभाष वहाँ पहुँचा तो सुन्दरदास ने पूछा कि वे क्या देख रहे हैं, जिसके बाद अभियुक्त काकू ने संतोष के सिर पर 'ड्राट' से वार किया और रत्तन ने सुभाष के माथे पर खुखरी से वार कर उसे घायल कर दिया। जिरह के दौरान उसने पुनः कहा कि अभियुक्त काकू ने संतोष कुमार को 'दाह' से चोट पहुँचाई थी और संतोष कुमार के सामने खड़े होने के दौरान वह और पम्मा राम सबसे पहले घटनास्थल पर पहुँचे थे। पीडब्ल्यू-धोंडा राम के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसने अभियोजन के मामले के विपरीत विवरण प्रस्तुत किया है।"

22. उक्त गवाह के अनुसार मृतक पर 'ड्राट' का वार काकू राम ने किया था, न कि अपीलकर्ता ने। इस प्रकार उसने न केवल हमलावर का नाम बदल दिया, बल्कि अपराध में प्रयुक्त हथियार को भी बदल दिया। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष किसी कारण से समर्थित नहीं हैं। यह भी चर्चा नहीं की गई कि प्रतिरक्षा को उसके इस कथन का लाभ क्यों नहीं दिया जाना चाहिए था, जबकि उसे शत्रुतापूर्ण भी घोषित नहीं किया गया था।

23. धानो देवी ने भी अपने साक्ष्य में कहा कि अपीलकर्ता ने संतोष कुमार (मृतक) पर खुखरी से वार किया था, जबकि अभियुक्त सुन्दरदास ने उस पर लाठी से वार किया था।

24. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपने निर्णय में यह मत व्यक्त किया कि :

(i) अभियोजन गवाहों का यह कथन कि वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, सही नहीं है और इसलिए उनमें से किसी पर भी विश्वास करना सुरक्षित नहीं होगा। यहाँ तक कि रमेश चंदर ने भी इस कथन का समर्थन नहीं किया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक संतोष कुमार और पीडब्ल्यू सुभाष चंदर पर संयुक्त रूप से हमला किया था।

(ii) यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मृतक संतोष कुमार घटना के समय या उससे पहले पीडब्ल्यू-रमेश चंदर से पहले घटनास्थल पर कैसे पहुँच गया।

(iii) रमेश चंदर ने अपने भाई सुभाष चंदर को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, जो अस्वाभाविक प्रतीत होता है।

(iv) यदि पीडब्ल्यू-विजय कुमार पर विश्वास किया जाए, तो उसका कथन रमेश चंदर के कथन से विरोधाभासी है। दोनों ने इस बात के संबंध में एक-दूसरे का खंडन किया है कि हमला किस प्रकार हुआ। पीडब्ल्यू-विजय कुमार ने कहीं भी यह नहीं कहा कि पीडब्ल्यू-रमेश चंदर, धानो देवी या पुष्पा देवी घटनास्थल पर उपस्थित थे। दूसरी ओर, उन्होंने कहा कि वे बाद में वहाँ पहुँचे थे।

25. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने घटना-स्थल पर पर्याप्त प्रकाश की उपलब्धता के संबंध में भी संदेह व्यक्त किया। प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और चिकित्सकीय साक्ष्य के बीच अभिलेख पर लाए गए महत्वपूर्ण विरोधाभासों पर विशेष बल दिया गया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने डॉ. आर.के. गुप्ता के साक्ष्य पर भरोसा किया। चिकित्सकीय रिपोर्ट में विरोधाभास विद्वान विचारण न्यायाधीश के निम्नलिखित अवलोकनों से स्पष्ट होते हैं :

"पीडब्ल्यू डॉ. आर.के. गुप्ता ने कहा कि 9.2.1993 को उन्होंने रात्रि 9.30 बजे पीएचसी जूरियां में मृतक संतोष कुमार का परीक्षण किया और निम्नलिखित चोट पाई:

(1) सिर के पार्श्विका (parietal) क्षेत्र में 4 × 3 × 1/2 इंच का कटा हुआ घाव, जिससे रक्तस्राव हो रहा था और जो लंबवत स्थिति में था। पार्श्विका क्षेत्र से रक्त का रिसाव तथा अनेक चीरे पाए गए।

जबकि पीडब्ल्यू डॉ. अनायत उल्लाह शेख, सहायक प्राध्यापक, मेडिकल कॉलेज, जिन्होंने संतोष कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया, ने निम्नलिखित चोटें पाईं:

1. नाक के ऊपरी तिहाई भाग में 2 सेमी का घर्षण (abrasion), जिसके नीचे की हड्डियों में फ्रैक्चर था।
2. सिर के पश्चकपाली (occipital) क्षेत्र में एक चिरा हुआ घाव, जिसमें उस क्षेत्र में अधिक रक्तस्राव था। पश्चकपाली हड्डी में लगभग 1/2 इंच व्यास का दबा हुआ (depressed) फ्रैक्चर पाया गया।"

26. पोस्टमार्टम प्रमाणपत्र में चोट संख्या 2 को लगभग 1/2 इंच का धँसा हुआ (depressed) अस्थि-भंग दर्शाया गया था। डॉ. आर.के. गुप्ता ने इस संबंध में पुलिस को कोई मत नहीं दिया था। वे यह नहीं बता सके कि उक्त चोट मृतक पर किस प्रकार के हथियार से आक्रमण करने पर हो सकती थी। उन्हें 'खुखरी' दिखाई गई, जिस पर उन्होंने कहा कि यह चोट उससे भी हो

सकती है, जबकि डॉ. इनायत उल्लाह शेख ने स्पष्ट रूप से कहा कि चोट संख्या 2 केवल किसी कुंद वस्तु से, जिसकी प्रहार सतह लगभग 1 इंच व्यास की हो, जैसे हथौड़ा, से ही संभव है। चोट संख्या 1 के संबंध में उनका मत था कि यह गिरने या किसी कठोर सतह से टकराने के कारण भी हो सकती है।

27. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस तथ्य का भी गंभीर संज्ञान लिया कि रेडियोलॉजिस्ट द्वारा लिया गया एक्स-रे की रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई थी। यहाँ तक कि मृतक का स्काई-ग्राम भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार न्यायालय को चिकित्सकीय साक्ष्य के एक भाग पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रतिकूल अनुमान निकालना उचित था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह भी विचार किया कि अभियोजन के एक गवाह, हरबंस लाल, द्वारा प्रकट किए गए अभियोजन के कथन की सत्यता क्या है, जिसने कहा था कि मृतक के पुत्र ने उसे बताया था कि उस पर किसी ने हमला किया था। यदि अभियोजन का मामला स्वीकार किया जाए, तो आक्रमणकारियों के नाम मृतक को भी ज्ञात होने चाहिए थे क्योंकि वे उसके पुत्र को भी ज्ञात थे। अभियुक्त व्यक्तियों के कथित खुलासे के कथन तथा उसके परिणामस्वरूप अपराध में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी को सिद्ध करने के लिए नंबरदार और चौकीदार जैसे किसी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं किया गया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा न किए जाने से बचाव पक्ष को गंभीर क्षति पहुँची।

28. संघाजी हरिबा पाटिल बनाम कर्णाटक राज्य, [2006] 10 एससीसी 494 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"हमने पूर्व में यह देखा है कि उच्च न्यायालय ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। यदि उच्च न्यायालय प्रथम न्यायालय होता, तो संभवतः उसका दृष्टिकोण स्वीकार किया जा सकता था, परंतु वह दोषमुक्ति के निर्णय से संबंधित था। हमने मुख्य अभियोजन गवाहों के बयानों का केवल इस उद्देश्य से संज्ञान लिया है कि यह दिखाया जा सके कि विद्वान विचारण न्यायाधीश का दृष्टिकोण प्रतिकूल या ऐसा नहीं कहा जा सकता जिसे अपनाया जाना संभव न हो। दोषमुक्ति के मामलों में यह सुविदित है कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हों, तो उच्च न्यायालय सामान्यतः निर्णय को पलटता नहीं है।"

[देखें: कल्लू उर्फ मसीह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [2006] 10 एससीसी 313; चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्णाटक राज्य, [2007] 3 स्केल 90 तथा स्वामी प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2007) 4 स्केल 181 पैरा 26 और 27]

29. अतः हम इस मत के हैं कि विद्वान विचारण न्यायाधीश का निर्णय ऐसा दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता जिसे अपनाया जाना संभव न हो।

30. दुर्भाग्यवश, मामले के इन सभी पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया।

31. अतः हम इस मत के हैं कि विवादित निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता, जिसे तदनुसार निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, तो अपीलकर्ता को तत्काल रिहा किया जाए।

डीजी अपील स्वीकृत

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|